



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072024-255885
CG-DL-E-29072024-255885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2024/श्रावण 7, 1946

No. 417]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2024/SHRAVANA 7, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2024

संख्या 40/2024- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 456(अ).— केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप- धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2022 - सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल 2022, जिसे सा. का. नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी II में,

- क्र.सं. 59 से 69, और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्र.सं और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“59	71061000	सभी वस्तुएं	7	1
60	71069110	सभी वस्तुएं	7	1
61	71069190	सभी वस्तुएं	7	1
62	71069210	सभी वस्तुएं	7	1
63	71069220	सभी वस्तुएं	7	1
64	71069290	सभी वस्तुएं	7	1
65	71101110	सभी वस्तुएं	3.6	1.4
66	71101120	सभी वस्तुएं	3.6	1.4
67	71101900	सभी वस्तुएं	3.6	1.4
68	71102100	सभी वस्तुएं	3.6	1.4
69	71102900	सभी वस्तुएं	3.6	1.4”;

II. क्र.सं. 72 और 73, और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्र.सं और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“72	71104100	सभी वस्तुएं	3.6	1.4
73	71104900	सभी वस्तुएं	3.6	1.4” I

[फा. सं. सीबीआईसी 190349/15/2024- टीआरयू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 22/2022 - सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल 2022, को सा.का.नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 31/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 2024, जिसे सा.का.नि. 434 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th July, 2024

No. 40/2024-Customs

G.S.R. 456(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 328(E), dated the 30th April, 2022, namely:-

In the said notification, in the TABLE II,

- I. for S. Nos. 59 to 69, and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“59	71061000	All Goods	7	1
60	71069110	All Goods	7	1
61	71069190	All Goods	7	1
62	71069210	All Goods	7	1
63	71069220	All Goods	7	1
64	71069290	All Goods	7	1
65	71101110	All Goods	3.6	1.4
66	71101120	All Goods	3.6	1.4
67	71101900	All Goods	3.6	1.4
68	71102100	All Goods	3.6	1.4
69	71102900	All Goods	3.6	1.4”;

- II. for S. Nos. 72 and 73, and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“72	71104100	All Goods	3.6	1.4
73	71104900	All Goods	3.6	1.4”.

[F. No. CBIC- 190349/15/2024-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 22/2022-Customs, dated the 30th April, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 328(E), dated the 30th April, 2022, and was last amended by notification No. 31/2024-Customs, dated 23rd July, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 434 (E), dated the 23rd July, 2024.